बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक– 1474 /पटना, दिनांक– 11/08/2015
सं0सं0– 4 तक0/औ0प्रो0नीति 2011/25/2015

प्रेषक,

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना।
उद्योग निदेशक, बिहार, पटना।
निदेशक, तकनीकी विकास, बिहार, पटना।
प्रबंध निदेशक, बियाडा, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना।
सभी अनुमंडल पदाधिकारी।
सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र।

विषयः– **औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार, 2011 की कंडिका–3(ii) (ग) में संशोधन के फलस्वरूप भूमि सम्परिवर्तन शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट उत्पादन पूर्व देने के संबंध में प्रकिया का निर्धारण।**

महाशय,

औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार, 2011 में संशोधन से संबंधित संकल्प सं0–09 दिनांक–05.01.15 निर्गत होने की तिथि अर्थात् दिनांक–05.01.2015 से प्रभावी है। भूमि सम्परिवर्तन शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट उत्पादन पूर्व देने हेतु उद्योग विभाग से प्राधिकार पत्र निर्गत करने के लिए प्रकिया का निर्धारण निम्न रूप से किया जाता है:–

(i) उपर्युक्त छूट उन्हीं इकाइयों को देय होगा जिनका निवेश प्रस्ताव जिला सिंगल विण्डो क्लियरेन्स समिति/राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् द्वारा अनुमोदित होगा।
(ii) जिला सिंगल विण्डो क्लियरेन्स समिति से अनुमोदित प्रस्ताव से संबंधित उद्यमियों/इकाइयों द्वारा यह सुविधा उत्पादन पूर्व प्राप्त करने हेतु इस पत्र के साथ संलग्न विहित प्रपत्र–1 में आवेदन पत्र एवं उसके साथ भूमि सम्परिवर्तन शुल्क की राशि में छूट के समतुल्य राशि का तीन वर्ष की अवधि के लिए बैंक गारंटी उद्योग विभाग, बिहार सरकार, पटना के नाम से संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र के कार्यालय में समर्पित करना होगा। इकाइयों/उद्यमियों से आवेदन पत्र की प्राप्ति की तिथि से सात दिनों के भीतर महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सभी औपचारिकताएँ पूरी कर, निश्चित रूप से उद्योग निदेशक, बिहार, पटना को अग्रसारित करेंगे। उद्योग निदेशक, बिहार, पटना बैंक गारंटी को अपने कार्यालय में रक्षित करते हुए अपने स्तर से सभी औपचारिकताएँ पूरी कर पन्द्रह दिनों के भीतर भूमि सम्परिवर्तन शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट उत्पादन पूर्व देने हेतु संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को प्राधिकार पत्र निर्गत करेंगे एवं इसकी एक प्रति इकाई को भी उपलब्ध कराएंगे।
(iii) राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद से अनुमोदित प्रस्ताव से संबंधित उद्यमियों/इकाइयों द्वारा यह सुविधा उत्पादन पूर्व प्राप्त करने हेतु इस पत्र के साथ संलग्न विहित प्रपत्र–1 में आवेदन पत्र एवं उसके साथ भूमि सम्परिवर्तन शुल्क की राशि में छूट के समतुल्य राशि का तीन वर्ष की अवधि के लिए बैंक गारंटी उद्योग विभाग, बिहार सरकार, पटना के नाम से निदेशक, तकनीकी विकास को सीधे समर्पित करेंगे। निदेशक, तकनीकी विकास बैंक गारंटी

को अपने कार्यालय में रक्षित करते हुए अपने स्तर से सभी औपचारिकताएँ पूरी कर पन्द्रह दिनों के भीतर भूमि सम्परिवर्तन शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट उत्पादन पूर्व देने हेतु संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को प्राधिकार पत्र निर्गत करेंगे एवं इसकी एक प्रति इकाई को भी उपलब्ध कराएंगे।

(iv) भूमि सम्परिवर्तन हेतु प्राधिकार पत्र निर्गत करने की तिथि से दो वर्षों के भीतर इकाई को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करना होगा। इकाई से ई0एम0 पार्ट–II/बृहत प्रक्षेत्र के औद्योगिक इकाई के संबंध में निदेशक, तकनीकी विकास द्वारा निर्गत उत्पादन तिथि से संबंधित पत्र के साथ बैंक गारंटी वापस करने के संबंध में आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उद्योग निदेशक/निदेशक, तकनीकी विकास, बिहार, पटना द्वारा बैंक गारंटी इकाई को सात दिनों के भीतर वापस कर दिया जाएगा। भूमि सम्परिवर्तन हेतु प्राधिकार पत्र निर्गत करने की तिथि से दो वर्षों के भीतर अगर इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ नहीं नहीं किया जाता है तो, दो वर्ष पूरा होते ही बैंक गारंटी की राशि जप्त कर ली जाएगी।

(v) संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी इकाई से प्राप्त आवेदन पर सभी औपचारिकताएँ पूरी करते हुए भूमि सम्परिवर्तन में छूट की कार्रवाई करेंगे।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक– विहित प्रपत्र–1

(हस्ताक्षर) 11/08

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:– 1575 /पटना, दिनांक– 11/08/2015
सं0सं0– 4 तक0/औ0प्रो0नीति 2011/25/2015

प्रतिलिपि:– निदेशक, (ह0रे0), बिहार, पटना/ निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बी0एस0एफ0सी0, पटना/प्रबंध निदेशक, बिसिको, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 11/08/2015

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:– 1575 /पटना, दिनांक– 11/08/2015
सं0सं0– 4 तक0/औ0प्रो0नीति 2011/25/2015

प्रतिलिपि:– आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 11/08/2015

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

प्रपत्र–1

(Format-1)

Application for claiming exemption in Land Conversion Fee

1. (a) Name & address of the company/unit-
   (Regd. office & Factory location)
   (b) Constitution of unit: Proprietorship/Partnership/Company/Trust/Society etc.-
2. Name & address of Proprietor/Partner/Director/Managing Director-
3. Details of company registration-
4. Industrial Registration/Entrepreneur Memorandum/IEM-
5. Status of Unit (Micro/Small/Medium/Large)-
6. Whether it is a new unit or expansion/diversification unit-
7. Details of sale/lease deed of land -
   (Location Village/Block/Khata/Khesra etc.)
8. Stamp duty and registration fee paid (if any)-
   (Attach copy of authority letter if exemption is availed under Industrial Incentive Policy, 2011)
9. Claim for land conversion fee-
   (Attach Bank Guarantee equivalent to land conversion fee)
10. The particulars furnished herein are in accordance with the records and are true to the best of my knowledge and belief. If I fail to make the required minimum investment and the land is used by me for other than industrial purpose/Project is not commissioned in prescribed time frame, Bank Guarantee would be forfeited by the department of industries, Govt. of Bihar.

Government officials/authorised representatives will have exclusive right to visit the premises of the company/unit and ask for informations/clarifications as needed by them.

Signature of the applicant
(Name and status of the signatory)

Documents enclosed :

1. E.M. Part-I/IEM, Part 'A'
2. Schedule of the lands with land map earmarking the Industrial Plot
3. Layout plan
4. Affidavit for para-10 of the application
5. Project Report.
6. Sale/lease deed in the name of unit/company.
7. Bank Guarantee equivalent to land conversion fee vailid for 3 years.